न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

भूमि आवंटन शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22(3) कॉलोनाईजेशन एक्ट
प्रकरण संख्या 152/2025 (GCMS : 2025/222)

1. **सरदारा राम** पुत्र सुखराम पुत्र श्री भैराराम जाति बावरी निवासी अरायण तकसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **जयमलराम** पुत्र सुखराम पुत्र श्री भैराराम जाति बावरी निवासी अरायण तकरील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **रतीराम** पुत्र सुखराम पुत्र श्री भैराराम जाति बावरी निवासी अरायण तकसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **पेमा देवी पत्नी** सुखराम पुत्र श्री भैराराम जाति बावरी निवासी अरायण तकसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. श्रीमती रिसूडी उर्फ रेसी पत्नी श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक 22 केएनडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. **जगदीश पुत्र** श्री बीरबलराम (मृतक) जरिये वारिसान

2/1 **मोहनी** पत्नी स्व. जगदीश

2/2 **सुमन** बिश्नोई पुत्री स्व.जगदीश

2/3 **गीतादेवी** पुत्री स्व. जगदीश

2/4 **इमानत देवी** पुत्री स्व. जगदीश

2/5 **सुनीता** पुत्री स्व. जगदीश

2/6 **ममता** पुत्री स्व. जगदीश

2/7 **रीना** रानी पुत्री स्व. जगदीश

2/8 **मोनिका** पुत्री स्व. जगदीश

2/9 **प्रमोद** कुमार पुत्र स्व. जगदीश

2/10 गौरव कुमार पुत्र स्व. जगदीश

समस्त जाति बिश्नोई निवासी चक 17 केएनडी–ए तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर

15.05.2026

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजकुमार उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस विधिक तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्राथीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में दोहराते हुए कथन किया कि चक 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 का 25 बीघा रकबा प्रार्थीगण के पिता सुखराम पुत्र भैराराम जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर को 1971 में अस्थाई रूप से भूमिहीन के रूप में आवंटन हुई थी। जिसमें अप्रार्थीगण के पिता काश्त करते थे।

अप्रार्थीगण के पिता अनगढ़ एवं अंगूठा छाप व्यक्ति थे। जिनको कानूनी ज्ञान नहीं था। बीरबल राम द्वारा बाद में गलत तथ्यों के आधार पर एवं पूर्व में आवंटित भूमि के तथ्यों को छिपाकर चक 22 केएनडी का मुरब्बा नम्बा 171/1 की 24.10 बीघा का आवंटन करवाया, जो आवंटन नियमों के विरूद्ध है।

प्रार्थीगण के पिता सुखराम पुत्र भैराराम ने बीरबल राम पुत्र मंगलूराम जाति बिश्नोई साकिन मांझूवास हाल निवासी 22 केएनडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर के खिलाफ दिनांक 18.08.1993 को उपजिला कलक्टर अनूपगढ़ को प्रार्थना पत्र पेश किया था कि बीरबल राम ने चक 22 केएनीडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 की 24.10 बीघा भूमि का आवंटन गलत तथ्य पेश कर करवाया है। अप्रार्थी बीरबलराम ने अपनी पिछली भूमि वके चक 1 एफबी का मुरब्बा नम्बर 27 के 18.5 बीघा रकबा को छुपाकर 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 की 24.10 बीघा भूमिहीन में अपने नाम आवंटन करवाया है।

अप्रार्थी ने उप जिला कलक्टर, अनूपगढ के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा पेश होने के बाद सुखराम के द्वारा साक्ष्य पेश की गई एवं साथ ही साक्ष्य में गवाह श्याम सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति बावरी उम्र 86 वर्ष पेशा खेती माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगांगनगर को साक्ष्य करवाई। इन गवाहों के आधार पर यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा चक 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 की 24.10 बीघा भूमि आवंटन करवाने से पूर्व अप्रार्थी के पास वाके चक 1 एफबी का मुरब्बा नम्बर 27 के 18.8 बीघा रकबा बतौर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज था, मगर अप्रार्थी ने चक 22 केएनडी का मुरब्बा नम्बर 171 का 24.10 बीघा भूमिहीन अपने नाम आवंटन करवाया है, जो नियमों के विरूद्ध है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। मृतक सुखराम के वारिस एवं मृतक बीरबलराम के वारिस प्रकरण में उपस्थित हुए। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना प्रकरण संख्या 33/2014 अनवानी सरदारा राम आदि बनाम रिसुडी उर्फ रेशी देवी पत्नी बीरबल राम आदि उपस्थित हुए और प्रकरण पर दिनांक 08.07.2015 को उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि आवंटन नियम 1971 की धारा 16 एवं आवंटन नियम 1975 की धारा 22(3) के तहत शिकायत अथवा तथ्य छुपाकर करवाये गये आवंटन को निरस्त करने की अधिकारिता उपनिरीक्षक आयुक्त को है एवं राजस्व विभाग में उक्त शक्तियां जिला कलेक्टर को हस्तान्तरित की गई। माननीय उपखण्ड अधिकारी घड़साना की उक्त शिकायतों को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 08.07.2015 के खिलाफ सरदारा राम वगै. द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की गई। अपील संख्या 154/2015 अनवानी सरदारा राम वगै. बनाम रिसुडी देवी में निर्णय दिनांक 03.08.2015 के तहत उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का आदेश दिनांक 08.07.2015 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रकरण को रिमाण्ड किया गया कि उक्त प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार नही हो तो सीपीसी के आदेश 7 नियम 16 के तहत सम्बन्धित न्यायालय को प्रकरण मुन्तकिल करने की कार्यवाही करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरूद्ध श्रीमती रिसूड़ी देवी उर्फ रेशी देवी आदि द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई। अपील/एलआर/7561/2015/श्रीगंगानगर, निर्णय दिनांक 12.01.2024 के तहत दिनांक 03.08.2015 को बहाल रखा गया।

बीरबल राम ने आवंटन अधिकारी के समक्ष चक 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 की 24.10 बीघा भूमि आवंटन करवाते समय अपने पिछले आवंटन को छुपाकर जो चक 1 एफबी के मुरब्बा नम्बर 27 का 18.5 बीघा भूमि को छुपाकर चक 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 का 24.10 बीघा भूमिहीनों में अपने नाम से आवंटन करवाया गया जो कि आवंटन नियम 1971 की धारा 16 एवं आवंटन नियम 1975 की धारा 22(3) के नियमों के विरूद्ध है, इसलिए अप्रार्थी बीरबल राम पुत्र मंगलूराम के नाम चक 2 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 का 24.10 बीघा रकबा आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी सुखराम पुत्र भैराराम ने अप्रार्थी बीरबल राम के विरूद्ध एक शिकायत प्रार्थना प्रस्तुत किया था, जिसमें अप्रार्थी आवंटी बीरबल राम की मृत्यु हो जाने के कारण एवं आवंटी के वारिसों का पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घडसाना ने अपने आदेश दिनांक 14.11.2003 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।

उपखण्ड अधिकारी, के आदेश दिनांक 14.11.2003 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक अपील पेश की, जिसमें राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 17.05.2006 से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित (Remand) कर दिया।

राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.05.2006 के पश्चात प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष 30.04.2014 को पेश हुआ। 17.05.2006 से 30.04.2014 के मध्य किसी पक्षकार द्वारा अन्य किसी न्यायालय में चाराजोही की गई अथवा नहीं? किसी न्यायालय से कोई आदेश हुआ हो, पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। दिनांक 17.05.2006 से प्रतिप्रेषित (Remand) प्रकरण 30.04.2014 को दर्ज होने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 30.04.2014 को उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष दर्ज होने पर, उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने आदेश दिनांक 08.07.2015 से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार उन्हें न होने के कारण प्रकरण खारिज कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के आदेश दिनांक 08.07.2015 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 154/2015 पेश हुई, जिसमें राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 03.08.2015 से उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के निर्णय को निरस्त कर, प्रकरण को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया यदि प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है तो सीपीसी के आदेश 7 नियम 10 के तहत सम्बन्धित न्यायालय को प्रकरण को मुन्तकिल करने की कार्यवाही करें।

राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरूद्ध अप्रार्थगण रिसूडी उर्फ रेशी पत्नी बीरबल राम एवं जगदीश पुत्र बीरबल के वारिसों के द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील संख्या 7561/2015 पेश हुई। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.08.2015 को बहाल रखा।

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 12.01.2024 के पश्चात प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज हुआ और उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने आदेश दिनांक 21.01.2025 से माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.08.2015 एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 12.01.2024 की पालना मे प्रकरण इस न्यायालय मुन्तकिल किया गया।

इस न्यायालय को प्रकरण में यह देखना है कि सुखराम(मृतक) जिसे वर्ष 1971 को चक 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 की 25 बीघा अस्थाई रूप से भूमिहीन के रूप में अस्थाई आवंटन हुई थी और अप्रार्थी बीरबल राम (मृतक) को 1974 में उक्त भूमिहीन के रूप में स्थाई आवंटन हुई थी। उक्त विवादित सम्पति पर किसी का अधिकार बनता है अथवा नहीं?

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना कें निर्णय दिनांक 08.07.2015 में अंकित किया गया है कि वर्ष 2003–04 में घड़साना में किसान आन्दोलन के दौरान हुई आगजनी में दफ्तर का रिकॉर्ड आग में जलकर राख हो गया था, इसलिए पूर्व में प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां जो न्यायालय से प्राप्त की गई, संलग्न है। पत्रावली में प्रार्थी/अप्रार्थी को हुए स्थाई/अस्थाई आवंटन का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड 1 एफबी तहसील करणपुर की जमाबंदी सम्वत् 2016 (वर्ष 1959) के मुरब्बा नम्बर 36 एवं 37 का अलॉटमैंट अप्रार्थी फुसा–बीरबलराम पुत्र मंगलू कौम बिश्नोई में हिस्सा बराबर–बारबर एवं मुरब्बा नम्बर 36 पर काश्त फुसा हिस्सेदार एवं मुरब्बा नम्बर 37 पर काश्त बीरबल हिस्सेदार मजबूर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी बीरबल को चक 1 एफबी तहसील करणपुर में उसके स्वामित्व की भूमि अलॉट थी।

अप्रार्थी बीरबल राम (मृतक) को चक 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 की 25 बीघा भूमि स्थाई आवंटन हुई थी। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जो यह साबित करता है कि अपीलार्थी ने छिपाकर अथवा भूमिहीन के रूप में भूमि आवंटित करवाई है अथवा नहीं?, उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2015 में अंकित किया गया है कि वर्ष 2003–04 में घड़साना में किसान आन्दोलन के दौरान हुई आगजनी में दफ्तर का रिकॉर्ड आग में जलकर राख हो गया था। इसलिए अप्रार्थी मृतक बीरबल राम को उक्त भूमि के आवंटन की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है। **इसलिए पत्रावली में अप्रार्थी मृतक बीरबल राम को 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/14 की 25 बीघा भूमि भूमिहीन किसान के रूप में ही आवंटित हुई थी, स्पष्ट नहीं होता है। वर्तमान में अप्रार्थी मृतक बीरबल राम के पुत्र जगदीश के वारिसों द्वारा उक्त भूमि काश्त की जा रही है और एचडीएफसी बैंक के पास रहन रखी हुई है।**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी सुखराम (मृतक) को उक्त भूमि चक 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 की 25 बीघा 1971 में अस्थाई आवंटन हुई थी और प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त भूमि उसको दो साल आराजी आवंटन रहा है।

टी.सी. भूमि आवंटी को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में कानूनी नज़ीरे निम्नानुसार अवलोकनीय है :

RRD 1992 Page No. 431

A lease for temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period – **an heir to a deceased allottee can not claim renewal thereof as a matter of right – he should apply for a fresh allotment for himself on merits.**

आरआरडी 2018 पेज नं. 364

A lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease

आरबीजे 199 पेज नं. 214

Temporary allotment of land for cultivation – creates no right in favour of the person to whom land was temporarily allotted

'अस्थाई आवंटन केवल एक वर्ष तक होता है, नये वर्ष में पुनः शर्त संख्या 6 राजस्थान उपनिवेशन शर्त 1955 की पालना में तहसीलदार को ही नवीनीकरण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उक्त विवेचन एवं नजीरों के अनुसार प्रार्थी सुखराम (मृतक) को अस्थाई आवंटन दो वर्ष के लिए हुआ था। उसके पश्चात कोई नवीनीकरण नहीं हुआ है। इसलिए उक्त विवादित भूमि चक 22 केएनडी के मुरब्बा नम्बर 171/1 की 25 बीघा पर प्रार्थी सुखराम (मृतक) के वारिस किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी घड़साना एवं तहसीलदार, रावला को पालनार्थ भिजवाई जाव। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर